प्रकरण संख्याः– 30/2022

अज अदालत– जिला कलक्टर मुकाम अजमेर

किस्म मुकदमाः– भरण पोषण

मीठू सिंह

बनाम

टीकम चौहान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/8/22	अग्रेम पक्ष उपस्थित अपीलान्ट श्री मिठ्ठू सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र मकान खाली करवाने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे पुत्र श्री टीकम चौहान द्वारा अपील के विचाराधीन रहते दिनांक 27.7.22 को मकान खाली कर दिया गया है। लिहाजा मैं अब सन्तुष्ट हूँ। अब कोई अनुतोष वांछित नहीं रहने से मैं आगे अपील चलाना नहीं चाहता हूँ। प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर नोट प्रेस करता हूँ। अपीलान्ट मिठ्ठू सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना कथनों एवं व्यक्त कथनों पर मनन किया खारिज अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन अपील के तहत वांछित अनुतोष के तहत रेस्पो. द्वारा मकान खाली कर दिये जाने से अब अपीलान्ट का कोई अनुतोष वांछित नहीं होने से वे अपील आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर नोट प्रेस किया जाना व सहमति एवं अंतिम आदेश पर भी किया गया है सहमति एवं अंतिम आदेश पर भी अपीलान्ट अंकन कर हस्ताक्षर किये गये हैं। लिहाजा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/व्यक्त कथनों के मद्देनजर अपील, अपीलान्ट नोट प्रेस किये जाने से इसी स्तर पर इसी कारणों से खारिज की जाती है। पत्रावली रिकार्ड शुमार हो कर नम्बर से एवं बंद	नेहा चौहान नोट प्रेस (मिठ्ठू सिंह)

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर